

कार्यालय सहायक अभियंता (जलग्रहण) एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, राजाखेडा


क्रमांक:-सहा.अभि./जलग्रहण/५५-५४

दिनांक:- ०३-०३-२०१७

अल्पकालीन निविदा सूचना-०२/२०१६-१७

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम-४ (आईडब्ल्यूएमपी-४) के अन्तर्गत पंचायत समिति, राजाखेडा में संपादित किये जाने वाले फील्ड बंडिंग, मिट्टी के बांध, एम.पी.टी. निर्माण, तालाब निर्माण कार्य, आदि कार्यों जिनकी अनुमानित लागत ३५७१००० लाख रूपये है, के लिए मय दो वर्ष की गारन्टी के आधार पर राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के ए./बी एवं सी श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।


सहायक अभियंता (जलग्रहण)
एवं पी.आई.ए.
पंचायत समिति, राजाखेडा

कार्यालय सहायक अभियंता (जलग्रहण) एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, राजाखेडा

अल्पकालीन निविदा सूचना-02/2016-17

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम-4 (आईडब्ल्यूएमपी-3) के अन्तर्गत ग्रामों में संपादित किये जाने वाले निम्न कार्यों के लिए राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के ए./बी. एवं सी श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।


निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. स.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	कार्य क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयों में) सहायक अभियंता पं० स० राजाखेडा के पक्ष में देय	निविदा प्रपत्र (रूपयों में) सहायक अभियंता पं० स० राजाखेडा के पक्ष में देय	प्रोसेसिंग शुल्क एम. डी.आर. आई.एस. एल. जयपुर के पक्ष में देय	कार्य पूर्ण होने की अवधि
1	02/2016-17	फील्ड बंडिंग कार्य, मिट्टी के बांध, एम.पी.टी निर्माण कार्य, तालाब निर्माण कार्य	आईडब्ल्यूएमपी-4 अन्तर्गत विभिन्न ग्राम	35.71	71420	1000	1000	31.05.2017 तक

निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक 07.03.2017 प्रातः 9.30 बजे से 14.03.2017 सायं 6.00 बजे तक
निविदा शुल्क, धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस को भौतिक रूप से जमा कराने का समय व स्थान	दिनांक 15.3.2017 को दोपहर 1.00 तक, अधिशासी अभियंता (जलग्रहण) एवं पी.आई.ए पंचायत समिति, धौलपुर के कार्यालय में
निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 15.03.2017 को सायं 4.00 बजे।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं।

1. <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. <http://sppp.rajasthan.gov.in>
3. www.watershed.rajasthan.gov.in


सहायक अभियंता (जलग्रहण)
एवं पी.आई.ए.
पंचायत समिति राजाखेडा

कार्यालय सहायक अभियंता (जलग्रहण) एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, राजाखेडा

निविदा शर्तें

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी जो कि सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, राजाखेडा के नाम देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करके भरने की अवधि दिनांक 07.03.2017 को प्रातः 9.30 बजे से 14.03.2017 को सायं 6.00 बजे तक होगी।
3. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डी0डी0/बैंकर्स चैक अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, धौलपुर के कार्यालय में दिनांक 15.03.2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कराने होंगे।
4. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 14.03.2017 को सायं 6:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। एवं प्राप्त तकनीकी/वित्तीय निविदाएँ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 15.03.2017 को सायं 4:00 बजे खोली जावेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं। तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
5. कार्य क्षेत्र आईडब्ल्यूएमपी- IV पंचायत समिति, राजाखेडा/धौलपुर होगा।
6. कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 07.03.2017 से 14.03.2017 को सायं 6.00 बजे तक कार्य दिवसों में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदा-कर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदा-कर्ता की यात्रता प्लान स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धि व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति धौलपुर से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है। तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
10. निविदा शुल्क रुपये 500/- का डी0डी0/बैंकर्स चैक सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, राजाखेडा के नाम देय होगा।
11. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदाओं को निविदा शुल्क के अतिरिक्त आर0आई0एस0एल0 को रू0 500/- शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **Managing Director RISL Jaipur** में भुगतान योग्य निविदा शुल्क के साथ जमा कराना होगा। जो जारी निविदा दिनांक के पश्चात की बनी होनी चाहिए।
12. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी उसे नियमानुसार नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा एवं अनुमानित लागत की राशि 8 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में जमा करानी होगी।
13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप-भाडे (सब लेट पर नहीं देगा)।

15. धराहेर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
16. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपद्धत (जब्त) किया जावेगा।
 - (अ) जब निविदा/सविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने असफल रहा हों
 - (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपद्धत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावगे। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
17. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
18. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु लेआउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिये संवेदक को दक्ष अभियन्ता रखना होगा।
19. कार्यों का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।
20. संवेदक को कार्य स्थल पर कार्य के शुरु में ही डिस्पले बोर्ड स्वयं के खर्च पर लगाना अनिवार्य होगा।
21. सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जारी किये गये कार्य आदेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि में कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा नहीं किया जाता है तो निम्नानुसार पैनल्टी देय होगी।
 - (1) (क) विहित कार्य पूर्णता अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2 %
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 %
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 %
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %
 - (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 - (5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
22. कराये गये सभी कार्यों के कार्य पूर्णता के पश्चात दो वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, जिसके लिये भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत धरोहर राशि काटी जावेगी।
23. कार्यों के सूचारू क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
24. संवेदक द्वारा बी.एस.आर. दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनमें सफल बोलीदाता से अन्तर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात लौटाई जायेगी।
25. आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
26. विक्रय कर शोधन (टैक्स क्लियरेंस) प्रमाण पत्र 31.03.2017 तक वैध देना होगा।
27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र धौलपुर होगा।
28. संवेदक को श्रम रेगुलेशन एवं एंबोलिशन एक्ट 1970 एवं 1971 की पालना करनी होगी।
29. निविदा प्रपत्र में दी गई दरों में रॉयल्टी एवं अन्य समस्त कर शामिल है।
30. कार्य आदेश जारी होने के सात दिवस में कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा पीडब्ल्यूएफएआर एव उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
31. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश-
 - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम

आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ सलग्न कर दी गयी है।

(य) कोई भी टेन्डर निर्धारित समय अनुसार ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(र) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप भर कर ऑनलाईन दर्ज करें।

32. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्बन्ध शीश मद से किये जाना वाला 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंषा के उपरान्त ही किया जायेगा।
33. मृदा कार्यों में किए जाने वाले प्रोक्टर घनत्व जांच के लिए आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।
34. जलग्रहण कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण-पत्र के अभाव में तकनीकी बिड में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
35. संवेदकों को अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व परियोजना क्षेत्र/कार्यस्थल का निरीक्षण करने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
36. कार्य आईडब्ल्यूएमपी, **Four water concept** एवं **MJSA Guide Line** के अनुसार ही किया जावेगा इस हेतु एमपीटी कार्य हेतु कार्य प्रारम्भ के समय ही मौके पर कॉम्पेक्शन हेतु रोलर व पानी का टैंकर व दक्ष अभियंता उपलब्ध रखे जावेगे। कृषि भूमि में कार्य पिट लगा कर मिट्टी के बण्ड का निर्माण किया जावेगा व डेलो को तोड़कर कुटाई की जावेगी। नियमानुसार वोइड्स की क्लैरी कर खुदी हुई मिट्टी सख्त /ककर की दरों से भुगतान किया जावेगा। सॉर्ट इन्चार्ज अभियंता द्वारा प्रदान किये गये निर्देशानुसार एवं ड्राइंग में दर्शाये गये अनुसार खोदते समय बर्म छोड़ा जाना आवश्यक है।
37. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कमी होने पर कार्य को रूकवाने/टेण्डर निरस्त करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
38. किसी भी कार्य के मौके स्थिति के अनुसार जी-शिड्यूल में कोई परिवर्तन/संशोधन करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास पूर्ण अधिकार होगा।
39. संवेदक को साइड पर तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु स्वयं के खर्च पर एक अभियंता रखना होगा। जो कि कम से कम कृषि/सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगा तथा उसी की देख-रेख में कार्य किया जायेगा।
40. कार्य गुणवत्तापूर्वक स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित ड्राइंग-डिजाईन के अनुसार करना होगा। स्पेसिफिकेशन से निम्न स्तर का पाये जाने पर कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिए साइड इन्चार्ज का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
41. कार्य के दौरान जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक होगी।
42. सुरक्षा के पूर्ण उपाय निर्धारित नियमों के अनुसार संवेदक द्वारा करने होंगे।
43. कार्यों का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा एवं जिले में नियुक्त कन्सलटेन्ट (थर्ड पार्टी) के निरीक्षण एवं अभिशंषा के उपरान्त किया जावेगा।
44. निविदा की विधिमान्यता कार्य आदेश से वनस्पतिक कार्यों को छोड़कर 31.05.2017 तक एवं वनस्पतिक कार्य 31 अगस्त 2017 तक पूर्ण करना होगा।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक मय सील

मोबाईल न०

कार्यालय सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, राजाखेड़ा

तकनीकी बिड

1. निविदा सूचना संख्या:- अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
2. कार्य का नाम :- फील्ड बंडिंग कार्य, मिट्टी के बांध, एमपीटी निर्माण कार्य, तालाब निर्माण
3. कार्य की अनुमानित लागत :- रु 3571000/-
4. धराहेर राशि :- रु 71420/-
5. संवदेक/फर्म का नाम :-
6. निविदा डाउनलोड व जमा/अपलाडे करने की तिथि :- दिनांक 07.03.2017 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 14.03.2017 सायं 6.00 बजे तक
7. निविदा को खालेने की तिथि व समय:- दिनांक 15.03.2017 सायं 4.00 बजे।
8. निविदादाता द्वारा संलग्न
 1. धराहेर राशि डी.डी./बैंकर्स चेक नं.....राशि.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
 2. निविदा शुल्क डी.डी./बैंकर्स चेक नं.....राशि.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
 3. प्रोसेसिंग फीस डी.डी./बैंकर्स चेक नं.....राशि.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
 4. राजकीय विभाग में सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत संवदेक का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
 5. पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 6. टेक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट अद्यतन की प्रमाणित प्रति।
 7. संवदेक द्वारा 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

(.....)

पता मय सील.....

मोबाईल न0.....

AFFIDAVIT

I/We..... Proprietor/
Partner/ Authorize signatory of M/s under take the oath that the
information furnished by me/us in I to VII of the assessment Bid for Construction of field bunding, ECD,
MPT, Talab nirman karya, in Khar ka pura, Bichola, Sardiya ka pura, Basaiyalalu, Sahajpur, Madabhau,
Dulahra, Tetuka, Torshankara, Jahanpur, Ratanpur Villages of Gram panchayat Jalalpur, Kotpura,
Madabhau, Dulahra, of P.S. Rajakhera and Dholpur District- Dholpur is correct to the best of my/our
knowledge. If any information is found to be incorrect Executive Engineer, Watershed Development and
Soil Conservation Department, P.S. Rajakhera & Dholpur, (Dholpur) has right to reject the Bid and to take
action against me/us as per rules.

.....
Proprietor/ Partner/ Authorized signatory

M/s.....

.....

Office Assistant Engineer Watershed And PIA Panchyat samiti, Rajakhera

G- Schedule

Name of Work:- Construction Of Mini Percolation Tank , Talab (Talai) Earthen Check Dam (ECD) Field Bunding etc

S. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7
1	Dag belling 5 to 7.5 cm deep	38219.5000	mt.	1.1800	45099.0100	Fourty Five Thousand & Ninety Nine and Paise One Only
2	Jungle Clearance	1660.5000	sqm.	2.4800	4118.0450	Four Thousand One Hundred & Eighteen and Paise Four Only
3	Benching base and depositing the excavated inaterial including dressing etc. complete within initial leas up to 50m and lift up to 1.5m(25cm depth)	415.1250	Cum	58.5000	24284.8125	Twenty Four Thousand Two Hundred & Eighty Four And Paise Eighty One Only
4	Earthwork for bund/Embabkment in dry or moist soil including laying in layers of 15 cms breaking of clods, sorting of grass, pebbles etc. and dressing in required profile when compacted manually or by plain roller within initial lead of 30mtr and lift of 1.5m in hard soil (excluding cost of watering and Compaction)	62076.9300	Cum	82.1000	3233977.3530	Thirty Two Lakh Thirty Three Thousand Nine Hundred & Seventy seven And Paise Thirty Five Only
5	Compaction of earth or highly weathered strata a. by manually or plain rollr, (density 90% of proctor) encluing watering of earth encluing cost of carriage of water when source of water is up to 2 kilometer. (18+11=29)	2817.8000	Cum	25.6300	72783.7740	Seventy Two Thousand Seven Hundred & Eighty Three and Paise Seventy seven Only
6	VEGETATION(MUNJA)	1321.5000	mt.	4.3300	5722.0950	Five Thousand Seven Hundred & Twenty Two and Paise Ten Only
7	Forestry seed Sowning	1321.5000	mt.	0.8700	1149.7080	One Thousand One Hundred & Forty Nine And Paise Seventy Only
8	Digging of pits in Hard soil (45x45x45)Cm & Plantation of tree	19.0000	No.	14.2200	270.1800	Two Hundred & Seventy and Paise Eighteen Only
9	मूजा की आपूर्ति (बाजार दर) ; किलो/लेन प्रति 100 मी. (2 लेन में)	251.5000	Kg	60.0000	15090.0000	Fifteen Thousand & Ninety Only
10	रतनजोत / अरुण्डी के बीज की आपूर्ति (बाजार दर) 2 किलो/लेन प्रति 100 मी. (2 लेन में)	503.0000	Kg	75.0000	37725.0000	Thirty Seven Thousand Seven Hunded & Twenty Five Only
11	मूजा की बुवाई 2 लाईन मे (जीकेएन 2016 आईटम नं. 158 ब)	25150.0000	mt.	4.3300	108895.5000	One Lakh Eight Thousand Eight Hundred & Ninety Nine and Paise Fifty Only
12	रतनजोत / अरुण्डी के बीज की बुवाई 2 लाईन मे (जीकेएन 2016 आईटम नं. 159)	25150.0000	mt.	0.8700	21880.5000	Twenty One Thousand Eight Hundred & Eithy and Paise Fifty Only
Total in Figures					3570999.9695	Thirty Five Lakh Seventy Thousand Nine Hundred & Ninety Nine and Paise Ninety Seven Only